न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी : मानाराम पटेल आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या 164/2017

अपीलाण्ट्स	बनाम	रेस्पोन्डेन्ट
1–इन्द्रसिह पुत्र रामसिह 2–अर्जुनसिह पुत्र रामसिह जातियान राजपूत निवासीगण बालेसर सतां तहसील शेरगढ जिला जोधपुर		1– सरपंच ग्राम पंचायत बालेसर सतां 2– खेतसिह पुत्र जेठमालसिह के कायम मुकाम– क–श्रीमती सायरकंवर पत्नी खेतसिह ख–स्वरूपसिह पुत्र स्व0 खेतसिह ग–सवाईसिह पुत्र स्व0 खेतसिह समस्त जातियान राजपूत निवासीगण ग्राम बालेसर सतां तहसील बालेसर जिला जोधपुर घ–श्रीमती चन्द्रकंवर पुत्री स्व0 खेतसिह पत्नी नरपत सिह जाति राजपूत निवासी भालू तहसील शेरगढ जिला जोधपुर ड–श्रीमती जसुकंवर पुत्री स्व0 खेतसिह पत्नी हिम्मतसिह जाति राजपूत निवासी तेना तहसील शेरगढ जिला जोधपुर च–श्रीमती लीलाकंवर पुत्री स्व0 खेतसिह पत्नी खंगारसिह के कायम मुकाम– अ–खंगारसिह पुत्र लखसिह आ–राणसिह पुत्र खंगारसिह जाति राजपूत निवासीगण ग्राम तेना तहसील शेरगढ जिला जोधपुर छ–श्रीमती संतुकंवर पुत्री स्व0खेतसिह पत्नी मोहनसिह जाति राजपूत निवासी कोलू तहसील शेरगढ जिला जोधपुर ज–श्रीमती कम्मूकंवर उर्फ कमलाकंवर पुत्री स्व0 खेतसिह पत्नी लालसिह जाति राजपूत निवासी केतू तहसील शेरगढ जिला जोधपुर 3–भीखसिह पुत्र मोडसिह 4–मंगलसिह पुत्र मोडसिह 5–देवीसिह पुत्र धनसिह 6–अचलसिह पुत्र मूलसिह के का0मु0 अ–श्रीमती सुगनकंवर पत्नी अचलसिह आ–जसवंतसिह पुत्र अचलसिह इ– रतनसिह पुत्र स्व0 अचलसिह समस्त जातियान राजपूत निवासीगण बालेसर सतां, तहसील बालेसर जिला जोधपुर 7–सुमेरसिह पुत्र मूलसिह 8–पेपसिह पुत्र भोजराजसिह 9–दलपतसिह पुत्र भोजराजसिह 10–उगमसिह पुत्र भोजराजसिह 11–नाथूसिह पुत्र हीरसिह 12–जब्बरसिह पुत्र हीरसिह

		13–रामसिह पुत्र रूघनाथसिह के कायम मुकाम– अ–जसवंतसिह पुत्र स्व. रामसिह 14–भंवरसिह पुत्र हरिसिह 15–चिमनसिह पुत्र हीरसिह 16–भीमसिह पुत्र सगतसिह 17–लखसिह पुत्र सगतसिह 18–अमरसिह पुत्र अभयसिह 19–जेतसिह पुत्र अभयसिह 20–श्रवणसिह नाबालिग जरिये कुदरती वली भाई अमरसिह 21–इन्द्रसिह पुत्र विजयसिह 22–डुंगरसिह पुत्र विजयसिह 23–रेवतसिह पुत्र विजयसिह 24–हुकमसिह पुत्र विजयसिह 25–विकमसिह पुत्र फतेहसिह 26–राजूसिह पुत्र फतेहसिह 27–उदयसिह पुत्र रणजीतसिह के का0मुकाम– अ–श्रीमती वीरकंवर पत्नी उदयसिह आ–प्रेमसिह पुत्र उदयसिह इ–भोमसिह पुत्र उदयसिह जातियान राजपूत निवासीगण बालेसर सता तहसील बालेसर जिला जोधपुर ई–अचलकंवर पुत्री उदयसिह पत्नी करणसिह जाति राजपूत निवासी नवातला तहसील शेरगढ जिला जोधपुर (नाम विलोपित) उ–पप्पूकंवर पुत्री उदयसिह पत्नी भंवरसिह जाति राजपूत निवासी गुमानपुरा तहसील शेरगढ जिला जोधपुर (नाम विलोपित) ए–पुष्पाकंवर पुत्री उदयसिह पत्नी जब्बरसिह जाति राजपूत निवासी राजमथाई तहसील पोकरण जिला जैसलमेर 28–भंवरसिह पुत्र अमानसिह 29–पेपसिह पुत्र अमानसिह 30–सुमेरसिह पुत्र अमानसिह 31–देवीसिह पुत्र कल्याणसिह 32–जालमसिह पुत्र भोजराजसिह 33–मनोहरसिह पुत्र भोजराजसिह नाबालिग जरिये कुदरती वलीया माता सभी जातियान राजपूत निवासीगण बालेसर सता तहसील शेरगढ जिला जोधपुर

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध निर्णय दिनांक 1–7–2008 जो तहसीलदार शेरगढ द्वारा रिमाण्ड प्रकरण संख्या 10/2007 अनवान खेतसिह बनाम इन्द्रसिह वगैरा मे पारित किया गया ।

उपस्थितिः–

1– श्री भूपत सिह जोधा अधिवक्ता अपीलांट की ओर से ।

2– श्री गुलाब सिह चंपावत अधिवक्ता रेस्पो0 गण की ओर से ।

निर्णय

दिनांक 30 –8–2018

उक्त अपील का संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम बालेसर सता के खसरा नंबर 542 रकबा 0.05 बीघा, खसरा नंबर 543 रकबा 3.07 बीघा, खसरा नंबर 545 रकबा 4.06 बीघा, खसरा नंबर 546 रकबा 4.11 बीघा, खसरा नंबर 549 रकबा 8.04 बीघा कुल 20.12 बीघा भूमि जवानसिह पुत्र आईदानसिह के खातेदारी की थी । उक्त खातेदार जवान सिह के देहांत होने पर उसके खातेदारी की उक्त भूमि का फोतेदगी म्युटेशन संख्या 1582 सरपंच ग्राम पंचायत के प्रमाण पत्र के आधार पर नजदीकी वारिसानो के नाम जो वर्तमान अपील मे रेस्पो0गण के पक्ष मे पटवारी हल्का बालेसर ने भर कर ग्राम पंचायत के समक्ष पेश किया जिसे ग्राम पंचायत बालेसर सतां की बैठक दिनांक 5–10–06 के प्रस्ताव संख्या 2 के द्वारा वारिसान मे विवाद होने से सरपंच ग्राम पंचायत बालेसर सतां द्वारा खारीज कर दिया । सरपंच ग्राम पंचायत बालेसर सतां द्वारा उक्त म्युटेशन पर पारित आदेश दिनांक 5–10–2006 के विरूद्ध वर्तमान रेस्पो0 संख्या 2 खेतसिह पुत्र जेठमालसिह जाति राजपूत निवासी बालेसर सतां तहसील शेरगढ ने प्रथम अपील न्यायालय डिवीजनल कमिश्नर जोधपुर के समक्ष पेश की जिसे न्यायालय डिवीजनल कमिश्नर जोधपुर ने अपने निर्णय दिनांक 26–6–2007 के द्वारा उनके समक्ष प्रस्तुत अपील को स्वीकार करते हुए सरपंच ग्राम पंचायत बालेसर सतां द्वारा म्युटेशन संख्या 1582 पर पारित किये गये आदेश दिनांक 5–10–2006 को निरस्त करते हुए प्रकरण तहसीलदार शेरगढ को मृतक खातेदार जवानसिह के वास्तविक उतराधिकारियो की विधिपूर्ण तरीके से पूर्ण जांच करने तथा अपीलकर्ता एवं आपत्तिकर्ताओ को नोटिस एवं सुनवाई तथा साक्ष्य सबूत पेश करने का समुचित अवसर प्रदान करते हुए नये सिरे से पुनः आदेश पारित करने के निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया । जिसकी पालना मे तहसीलदार शेरगढ ने प्रकरण संख्या 10/2007 दर्ज कर बाद पक्षकरान की सुनवाई के अपीलाधीन निर्णय दिनांक 1–7–2008 पारित करते हुए म्युटेशन संख्या 1582 के कॉलम संख्या 9 मे किये गये इन्द्राजात को बहाल रखने बाबत आदेश पारित किया गया । जिसके विरूद्ध वर्तमान अपील इस न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई है ।

उभयपक्ष के अधिवक्ता उपस्थित । वकील पक्षकारान की बहस सुनी । अपीलांट अधिवक्ता ने अपील मीमो मे वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार शेरगढ ने न्यायालय डिवीजनल कमिश्नर जोधपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 26–6–2007 मे दिये गये निर्देशो की पालना मे अपीलांट्स के नोटिस तामिल कराये बिना तथा सुनवाई तथा साक्ष्य सबूत पेश करने का अवसर दिये बिना ही अपीलाधीन निर्णय पारित किया है, वह विधि एवं न्यायसंगत नही होने से निरस्त योग्य है ।

वकील अपीलांट ने कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार शेरगढ ने मृतक खातेदार स्व0 जवान सिह पुत्र आईदान सिह के वास्तविक उतराधिकारियो की जांच ही नही करवाई, केवल सरपंच ग्राम पंचायत बालेसर सत्ता द्वारा प्रस्तुत वृक्ष वंशावली के आधार पर उतराधिकारियो का निर्धारण करते हुए अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया जो विधिसम्मत नही माना जा सकता है । अपीलांट अधिवक्ता ने कथन किया कि उतराधिकार प्रमाण पत्र जारी करने का अधिकार सरपंच ग्राम पंचायत को नही है बल्कि उतराधिकार प्रमाण पत्र केवल सिविल जिला न्यायाधीश को ही जारी करने के अधिकार है इसलिए अधीनस्थ न्यायालय ने केवल खानापूर्ति करते हुए अपीलाधीन निर्णय पारित किया है, जो निरस्त योग्य है ।

वकील अपीलांट ने अपनी बहस के दौरान कथन किया कि मृत खातेदार जवानसिह पुत्र आईदान सिह ने अपीलांटगण के पक्ष मे अपने जीवनकाल मे एक वसीयत निष्पादित की थी जिसमे अपीलाधीन भूमि का भी उल्लेख है इसलिए अपीलाधीन भूमि का म्युटेशन वसीयत के आधार पर पारित किया जाना चाहिये था परंतु अधीनस्थ न्यायालय मे अपीलांट को नोटिस तामिल कराये बिना तथा सुनवाई व साक्ष्य सबूत पेश करने का अवसर दिये बिना ही अपीलाधीन आदेश के जरिये जो म्युटेशन स्वीकृत करने का आदेश पारित किया है, वह निरस्त योग्य है ।

वकील अपीलांट ने यह भी कथन किया कि मृतक खातेदार जवानसिह पुत्र आईदानसिह द्वारा अपीलांटगण के पक्ष मे दिनांक 28–7–1998 को निष्पादित की गई वसीयत को प्राबेट करवाने के लिए एक दिवानी विविध प्रार्थना पत्र संख्या 36/2011 अनवान इन्द्रसिह वगैरा बनाम जनसाधारण/सर्वसाधारण न्यायालय जिला न्यायाधीश जोधपुर जिला मे पेश किया, जिस पर पारित निर्णय दिनांक 20–2–2017 के द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए नियमानुसार न्याय शुल्क जमा करवाये जाने पर प्रार्थीगण को उनके पक्ष मे प्रोबेट जारी करने के आदेश दिये गये, तत्पश्चात नियमानुसार न्याय शुल्क जमा करवाये जाने पर माननीय जिला न्यायाधीश जोधपुर ने दिनांक 28–7–1998 को मृतक खातेदार जवानसिह द्वारा अपीलांटगण के पक्ष मे निष्पादित वसीयत मे वर्णित सम्पति के संबंध मे दिनांक 15–3–18 को प्रोबेट जारी किया जा चुका है, जिनकी छायाप्रति फार्म अपीलांट अधिवक्ता ने फार्म नंबर 3 के सलंग्न प्रस्तुत की ।

वकील अपीलांट ने अपनी बहस के दौरान यह भी न्यायालय को अवगत कराया कि वर्तमान अपील के रेस्पो0 संख्या 2 (ग) सवाईसिह पुत्र स्व0 खेतसिह की ओर से वसीयत के प्रोबेट की कार्यवाही मे पक्षकार बनाने हेतु माननीय जिला न्यायाधीश जोधपुर मे प्रार्थना पत्र पेश किया था परंतु रेस्पो0 सवाईसिह का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10 सी.पी.सी. का दिनांक 12–5–2016 को खारीज करने के आदेश के विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय मे एस.बी.सिविल रिट याचिका

संख्या 9801/2016 प्रस्तुत की जिसमे पक्षकारान के नोटिस जारी करने के आदेश पारित किये हुए है । वकील अपीलांट ने यह भी कथन किया कि माननीय जिला न्यायाधीश जोधपुर द्वारा अपीलांट के पक्ष मे जारी प्रोबेट दिनांक 20–2–2017 के विरूद्ध भी माननीय उच्च न्यायालय मे सिविल प्रथम अपील संख्या 154/2018 प्रस्तुत कर रखी है जिसमे भी किसी प्रकार का कोई स्थगन आदेश पारित किया हुआ नही है ।

अंत मे वकील अर्पीलांट ने उक्त अपील को स्वीकार करने तथा अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार शेरगढ द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 1–7–2008 विधिसम्मत नही होने से उसे निरस्त कर अपीलांट के पक्ष मे निष्पादित वसीयत को माननीय सक्षम सिविल न्यायालय ने अपीलांट के पक्ष मे प्रोबेट जारी किया है, उसके आधार पर अपीलाधीन भूमि का म्युटेशन स्वीकृत करने हेतु तहसीलदार शेरगढ को निर्देशित करने का निवेदन किया ।

अपीलांट अधिवक्ता की बहस के प्रत्युत्तर मे रेस्पो0 की ओर से उपस्थित अधिवक्ता ने कथन किया कि अपीलांट ने ग्राम पंचायत के समक्ष अपने पक्ष मे निष्पादित वसीयत का कोई दस्तावेज ही पेश नही किया था इसलिए पटवारी हल्का ने मृतक खातेदार जवान सिह के नजदीकी उतराधिकारियो की जांच कर विरासत का म्युटेशन संख्या 1582 उनके पक्ष मे भरकर पेश किया था, जिसे ग्राम पंचायत ने विवादित मानते हुए खारीज कर दिये जाने पर उक्त म्युटेशन की प्रथम अपील धारा 135 (2) लेण्ड रेवेन्यु एक्ट के तहत डिवीजनल कमिश्नर जोधपुर मे वर्तमान अपील के रेस्पो0 संख्या 2 खेतसिह पुत्र जेठमल सिह जाति राजपूत निवासी बालेसर सत्ता द्वारा पेश की जाने पर न्यायालय डिवीजनल कमिश्नर जोधपुर ने अपने निर्णय दिनांक 26–6–2007 के द्वारा उनके समक्ष प्रस्तुत अपील को स्वीकार करते हुए सरपंच ग्राम पंचायत बालेसर सतां द्वारा म्युटेशन संख्या 1582 पर पारित किये गये आदेश दिनांक 5–10–2006 को निरस्त करते हुए प्रकरण तहसीलदार शेरगढ को मृतक खातेदार जवानसिह के वास्तविक उतराधिकारियो की विधिपूर्ण तरीके से पूर्ण जांच करने तथा अपीलकर्ता एवं आपत्तिकर्ताओ को नोटिस एवं सुनवाई तथा साक्ष्य सबूत पेश करने का समुचित अवसर प्रदान करते हुए नये सिरे से पुनः आदेश पारित करने के निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया । जिसकी पालना मे तहसीलदार शेरगढ ने प्रकरण संख्या 10/2007 दर्ज कर बाद पक्षकरान की सुनवाई के अपीलाधीन निर्णय दिनांक 1–7–2008 पारित करते हुए म्युटेशन संख्या 1582 के कॉलम संख्या 9 मे किये गये इन्द्राजात को बहाल रखने बाबत आदेश पारित किया गया है, जो विधिसम्मत होने से उक्त आदेश के विरूद्ध अपीलांटगण द्वारा प्रस्तुत उक्त अपील को खारीज करने का निवेदन किया ।

वकील रेस्पो0 ने अपनी बहस मे यह भी कथन किया कि अपीलांटगण ने अपने पक्ष मे वसीयत के दस्तावेज का कथन न तो न्यायालय डिवीजनल कमिश्नर

जोधपुर के समक्ष प्रस्तुत किया और न ही अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार शेरगढ के समक्ष ही पेश किया, ऐसी स्थिति मे जब अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वर्तमान अपीलांटगण के पक्ष मे वसीयत का कोई तथ्य ही प्रकट नही किया गया तो अधीनस्थ न्यायालय ने मृतक जवानसिह के विधिक उतराधिकारियो की जांच करवाकर जो अपीलाधीन निर्णय पारित किया है, जो विधिसम्मत होने से अपीलांटगण द्वारा प्रस्तुत यह अपील खारीज करने का निवेदन किया ।

वकील रेस्पो0गण ने अपनी बहस के दौरान न्यायालय का ध्यान इस न्यायालय मे प्रस्तुत अपील मीमो की ओर दिलाते हुए कथन किया कि इस न्यायालय हाजा मे प्रस्तुत अपील मे भी अपीलांट ने अपने पक्ष मे वसीयत होने का कोई तथ्य ही प्रकट नही किया है तथा यह भी कथन किया कि किसी भी पक्षकार को उनके द्वारा चाहे गये अनुतोष से बाहर रिलीफ नही दी जा सकती है इस संबंध मे सी.पी.सी. के आदेश 6 नियम 2 का हवाला अपनी बहस मे दिया ।

वकील रेस्पो0 ने यह भी कथन किया कि वसीयत इन्द्रसिह, अर्जुनसिह पि0 रामसिह जाति राजपूत निवासी खिलो का धोरा बालेसर सता एवं डुंगरसिह पुत्र विजेसिह राजपूत निवासी बालेसर सतां के पक्ष मे निष्पादित की गई थी परंतु सिविल न्यायालय मे वसीयत को प्रोबेट करवाने के लिए प्रस्तुत आवेदन पत्र मे डुंगरसिह पुत्र विजेसिह को पक्षकार बनाये बिना प्रोबेट का आदेश प्राप्त किया है ।

वकील रेस्पो0गण ने अपीलांट ने अपने पक्ष मे वसीयत को प्रोबेट करवाने के लिए माननीय जिला न्यायाधीश जोधपुर मे प्रार्थना पत्र पेश किया जिसमे हमे पक्षकार नही बनाया जिसकी जानकारी होने पर इस अपील के रेस्पो0 संख्या 2 (ग) सवाईसिह पुत्र स्व0 खेतसिह ने आदेश 1 नियम 10 सी.पी.सी. का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था परंतु उक्त प्रार्थना पत्र खारीज कर दिया जाने पर उक्त आदेश के विरूद्ध एक सिविल रिट संख्या 9801/2016 सवाईसिह बनाम इन्द्रसिह वगैरा प्रस्तुत की गई जो विचाराधीन है तथा उक्त रिट याचिका के निर्णय से ही अधिकारो का निर्धारण होना है इसलिए विचाराधीन उक्त रिट के निर्णय तक किसी प्रकार का आदेश पारित नही करने का निवेदन किया । रेस्पो0 अधिवक्ता ने अपनी बहस के समर्थन मे आर.आर.डी. 1992 पेज 304, आर.आर.डी. 2005 पेज 310, आर. आर.डी. 1992 पेज 117, आर.आर.डी. 2001 पेज 242, आर.एल.आर. 1991(1) पेज 691 एवं आर.आर.टी.1 (सु.को) अनवान आर. राजाशेखर वगैरा बनाम ट्रीनीटी हाऊस बिल्डिंग कॉपरेटिव सोसाईटी वगैरा की निर्णय नजीरें पेश की।

रिबेटल मे अपीलांट अधिवक्ता ने कथन किया कि रेस्पो0 अधिवक्ता को वसीयत के संबंध मे आपत्ति प्रकट करने का कोई अधिकार नही है क्योकि वसीयतनामा प्रोबेट की कार्यवाही मे जो भी हित रखता, वह उपस्थित होकर अपना पक्ष रख सकता था ।

हमने उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मे उपलब्ध दस्तावेजात, न्यायालय डिवीजनल कमिश्नर जोधपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 26–6–2007 तथा उसके क्रम मे अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार शेरगढ द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 1–7–2008 का अध्ययन किया तथा उक्त आदेश के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत अपील एवं उसके साथ प्रस्तुत दस्तावेजात, जिसमे अपीलांटगण के पक्ष मे अपीलाधीन भूमि के खातेदार मृत जवानसिह द्वारा दिनांक 28–7–98 को निष्पादित वसीयत का दस्तावेज तथा बहस के दौरान उभयपक्ष के अधिवक्ताओ द्वारा फार्म नंबर 3 के सलंग्न प्रस्तुत दस्तावेजात का अध्ययन किया ।

रेकर्ड पर आये तथ्यो अनुसार अपीलाधीन भूमि के खातेदार जवानसिह पुत्र आईदानसिह जाति राजपूत निवासी बालेसर सता के तीन पुत्र क्रमशः उदयसिह उर्फ बुद्धसिह, भीवसिह तथा पुंजराज सिह थे । जिनमे से उदयसिह उर्फ बुद्धसिह एवं भीवसिह अविवाहित ही फोत हो गये तथा खातेदार जवानसिह की पत्नी का भी देहांत उसके जीवनकाल मे हो गया था । खातेदार जवानसिह के एक पुत्र पुंजराजसिह जो कि वसीयत लिखे जाने के करीब दस बारह वर्ष पूर्व से लापता होने से उक्त खातेदार जवानसिह ने अपने खातेदारी की भूमि एवं अन्य जायदाद, के संबंध मे एक वसीयतनामा अपने जीवनकाल मे अपने छोटे भाई के पुत्रगण वर्तमान अपीलांटगण इन्द्रसिह एवं अर्जुनसिह पुत्रगण रामसिह तथा डुंगरसिह पुत्र विजेसिह के पक्ष मे दिनांक 28–7–1998 को निष्पादित की तथा उक्त खातेदार जवानसिह की मृत्यु (अपीलाधीन म्युटेशन के कॉलम संख्या 14 मे उल्लेख अनुसार) दिनांक 22–1–99 को हो चुकी थी परंतु उक्त भूमि का नामांतरकरण संख्या 1582 पटवारी हल्का द्वारा सरपंच के प्रमाण पत्र के आधार पर दिनांक 5–8–06 को विधिक उतराधिकारियो के नाम दर्ज करते हुए प्रस्तुत किया, जिसे सरपंच ग्राम पंचायत बालेसरसतां द्वारा पंचायत बैठक दिनांक 5–10–06 के प्रस्ताव अनुसार खारीज कर दिया ।

उक्त म्युटेशन संख्या 1582 की प्रथम अपील धारा 135 (2) लेण्ड रेवेन्यु एक्ट के तहत न्यायालय डिवीजनल कमिश्नर जोधपुर मे वर्तमान अपील के रेस्पो0 संख्या 2 खेतसिह पुत्र जेठमल सिह जाति राजपूत निवासी बालेसर सत्ता द्वारा पेश की जाने पर न्यायालय डिवीजनल कमिश्नर जोधपुर ने अपने निर्णय दिनांक 26–6–2007 के द्वारा उनके समक्ष प्रस्तुत अपील को स्वीकार करते हुए सरपंच ग्राम पंचायत बालेसर सतां द्वारा म्युटेशन संख्या 1582 पर पारित किये गये आदेश दिनांक 5–10–2006 को निरस्त करते हुए प्रकरण तहसीलदार शेरगढ को मृतक खातेदार जवानसिह के वास्तविक उतराधिकारियो की विधिपूर्ण तरीके से पूर्ण जांच करने तथा अपीलकर्ता एवं आपत्तिकर्ताओ को नोटिस एवं सुनवाई तथा साक्ष्य सबूत पेश करने का समुचित अवसर प्रदान करते हुए नये सिरे से पुनः आदेश पारित करने के

निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया । जिसकी पालना मे तहसीलदार शेरगढ ने प्रकरण संख्या 10/2007 दर्ज कर बाद पक्षकरान की सुनवाई के अपीलाधीन निर्णय दिनांक 1–7–2008 पारित करते हुए म्युटेशन संख्या 1582 के कॉलम संख्या 9 मे किये गये इन्द्राजात को बहाल रखने बाबत आदेश पारित किया गया, जिसके विरूद्ध वर्तमान अपील इस न्यायालय हाजा के समक्ष अपीलांटगण इन्द्रसिह एवं अर्जुनसिह पुत्रान रामसिह राजपूत द्वारा प्रस्तुत की गई है ।

अपीलाधीन भूमि के खातेदार मृत जवानसिह पुत्र आईदानसिह जाति राजपूत द्वारा अपीलांटगण के पक्ष मे निष्पादित वसीयत का दस्तावेज सरपंच ग्राम पंचायत बालेसर सता, न्यायालय डिवीजनल कमिश्नर जोधपुर एवं अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार शेरगढ के समक्ष प्रस्तुत ही नही हुआ था इसलिए वसीयत का कोई उल्लेख म्युटेशन कार्यवाही मे, डिवीजनल कमिश्नर न्यायालय के निर्णय मे तथा अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार शेरगढ की रिमाण्ड कार्यवाही मे नही आया है परंतु इस न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत अपील के साथ अपीलांटगण के पक्ष मे अपीलाधीन भूमि के संबंध मे निष्पादित वसीयत के दस्तावेज की छायाप्रति प्रस्तुत की गई है । हालांकि इस न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत अपील मीमो मे भी अपीलांटगण ने अपने पक्ष मे निष्पादित वसीयत के दस्तावेज के आधार पर म्युटेशन दर्ज करवाने बाबत अनुतोष तो नही चाहा है परंतु अपीलांट ने अपील मीमो के पद संख्या 6 मे किये गये उल्लेख अनुसार अधीनस्थ न्यायालय मे अपीलांट को नोटिस तामिल नही होना तथा उसे सुनवाई का अवसर नही दिया जाने से अपील मीमो के अंत मे प्रकरण को मेरिट पर सुनवाई के लिए पुनः रिमाण्ड करने की इश्तदुआ अवश्य की है ।

अपीलाधीन भूमि के मृत खातेदार जवानसिह पुत्र आईदानसिह द्वारा अपीलांटगण के पक्ष मे दिनांक 28–7–1998 को निष्पादित की गई वसीयत को प्राबेट करवाने के लिए अपीलांटगण इन्द्रसिह वगैरा ने एक दिवानी विविध प्रार्थना पत्र संख्या 36/2011 अनवान इन्द्रसिह वगैरा बनाम जनसाधारण/सर्वसाधारण न्यायालय जिला न्यायाधीश जोधपुर जिला के समक्ष पेश किया था, जिस पर पारित निर्णय दिनांक 20–2–2017 के द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए नियमानुसार न्याय शुल्क जमा करवाये जाने पर प्रार्थीगण को उनके पक्ष मे प्रोबेट जारी करने के आदेश दिये गये, तत्पश्चात अपीलांटगण द्वारा नियमानुसार न्याय शुल्क जमा करवा दिये जाने पर माननीय जिला न्यायाधीश जोधपुर ने दिनांक 28–7–1998 को मृतक खातेदार जवानसिह द्वारा अपीलांटगण के पक्ष मे निष्पादित वसीयत मे वर्णित सम्पति के संबंध मे दिनांक 20–2–2017 एवं उसके निरंतर मे दिनांक 15–3–18 को जारी प्रोबेट का अवलोकन करने पर प्रोबेट के सलंग्न सम्पति की सूची प्रस्तुत की है उक्त सूची के कम संख्या 4 मे म्युटेशन संख्या 1582 मे वर्णित अपीलाधीन भूमि भी सम्मलित है ।

वर्तमान अपील के रेस्पो0 सवाईसिह पुत्र खेतसिह द्वारा सिविल न्यायालय मे वसीयत के प्रोबेट की कार्यवाही मे पक्षकार बनने हेतु प्रस्तुत किये गये प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10 सी.पी.सी. को खारीज करने के पारित आदेश दिनांक 12–5–2016 के विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय मे एक एस.बी.सिविल रिट पीटीशन संख्या 9801/2016 प्रस्तुत की हुई है इसी प्रकार रेस्पो0 सवाईसिह ने अपीलांट के पक्ष मे माननीय जिला न्यायालय जोधपुर द्वारा जारी प्रोबेट आदेश दिनांक 20–2–2017 को निरस्त करवाने बाबत माननीय उच्च न्यायालय मे एस.बी. सिविल प्रथम अपील संख्या 154/2018 प्रस्तुत कर रखी है जिसमे भी किसी प्रकार का स्थगन आदेश पारित किया गया हो, ऐसा कोई दस्तावेज रेकर्ड पर प्रस्तुत नही किया गया है । ऐसे मे वर्तमन अपील का निर्णय उक्त विचाराधीन अपील एवं रिट पीटीशन के निर्णय तक रोके जाने का कोई औचित्य प्रतीत नही होता है ।

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपीलांटगण द्वारा प्रस्तुत यह अपील आंशिक स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार शेरगढ द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 1–7–2008 निरस्त कर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार शेरगढ को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलांटगण एवं रेस्पो0गण को नोटिस जारी कर उन्हे सुनवाई एवं साक्ष्य सबूत प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान करते हुए अपीलांटगण के पक्ष मे जिला न्यायाधीश जोधपुर जिला द्वारा जारी प्रोबेट आदेश दिनांक 20–2–17 एवं माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर मे वर्तमान अपील के रेस्पो0 संख्या 2 (ग) सवाईसिह पुत्र स्व0 खेतसिह द्वारा प्रस्तुत एवं विचाराधीन एसं.बी.सिविल रिट पीटीशन संख्या 9801/2016 तथा एस.बी.सिविल अपील संख्या 154/2018 एवं उनमे पारित आदेशो के परिपेक्ष्य मे पुनः म्युटेशन के संबंध मे विधिसम्मत निर्णय पारित करें ।

निर्णय आज दिनांक 30–8–2018 को खुले न्यायालय सुनाया गया ।

(मानाराम पटेल)
अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर